तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
20-2-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** ——— उपस्थित :– अभिभाषक प्रार्थी श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी श्री मदनलाल गुर्जर उप राजकीय अभिभाषक श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड **आदेश** 1. यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष प्रार्थी व अप्रार्थी सं.2 के विरूद्ध विवादित आराजी खसरा नंबर 296 जोहड पर अतिक्रमण करने के आधार धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं कर उन्हें बेदखली किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार झुंझुनू ने प्रार्थी को नोटिस जारी किया जिस पर प्रार्थी ने जवाब देकर अवगत कराया कि विवादित आराजी उसे आवंटन हुई है। तहसीलदार झुंझुनू ने आदेश दिनांक 4–10–2000 द्वारा अधिनियम की धारा 91 के नोटिस वापस लेते हुये कार्यवाहीं समाप्त कर दी। ग्राम पंचायत मेहनसर ने उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा खारिज कर दी गई। जिला कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू के यहां अपील प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा निर्णय दिनांक 10–5–04 से स्वीकार कर प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून के विरूद्ध हैं। जिला कलेक्टर द्वारा अपील को मियाद बिन्दु पर खारिज किया था तो ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर सकता था। किंतु उनके द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली के आदेश नियम विरूद्ध दिये है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की। ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण को जारी पट्टे को अस्वीकार नहीं किया है तथा आबादी के विस्तार हेतु उपखंड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत को दिया जाना भी स्वीकार किया है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पट्टा विधि विरूद्ध था तो प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त करा कर ही अपना अधिकार व स्वत्व विवादग्रस्त आराजी पर जता सकते है। किसी भी राजस्व अधिकारी को प्रार्थीगण के पक्ष में आबादी हेतु दिये गये पट्टे की वैद्यता को देखने का अधिकार नहीं था और न ही आबादी की भूमि के सम्बंध में तहसीलदार झुंझुनू को प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करने का अधिकार था। तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अतिक्रमी नहीं माना है। किंतु राजस्व अपील प्राधिकारी ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजदअदांज करते हुये निगरानीधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू का आदेश निरस्त किया जावे। 4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कहा कि विवादित आराजी जोहड की राजकीय भूमि है। आबादी भूमि नहीं है। मौका जांच रिपोर्ट में अतिक्रमण किया जाना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा 1982 से 1987 में पट्टे देना अवगत कराया। उन पट्टों में 150 वर्गगज के पट्टे देना का उल्लेख है। प्रार्थीगण तीन पट्टे जारी करना बताते है। इस आधार पर कुल भूमि 450 वर्गगज होती है जबकि प्रार्थीगण का अतिक्रमण 11 बिस्वा अर्थात 1650 वर्गगज पर है। प्रार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की स्थिति में उन्हें बेदखली से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हल्का पटवारी ने खसरा नंबर 296 जोहड पर प्रार्थीगण द्वारा नाजायज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की स्थिति में तहसीलदार झुंझुनू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के जवाब पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विचाराधीन कार्यवाहीं को समाप्त कर दिया। जिसकी अपील जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई तथा द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू ने स्वीकार कर प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है। तहसीलदार झुंझुनू ने प्रार्थीगण का कब्जा आवंटनशुदा भूमि पर होना मानते हुये उनके विरूद्ध विचाराधीन कार्यवाहीं धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	1956 को समाप्त किया है तथा साथ ही पटवारी हल्का से आवंटनशुदा भूमि पर इनके अलावा किसी अन्य दिगर व्यक्तियों के कब्जे बाबत् भी निर्देश दिये है। पटवारी हल्का द्वारा पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 24–7–2000 में अंकित किया कि विवादित आराजी उपजिला कलेक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 7–11–75 के द्वारा ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु 1500 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया है तथा प्रार्थीगण का कब्जा आवंटनशुदा भूमि में होना अंकित किया। प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी का पट्टा जारी किया गया है। जबतक ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त नहीं हो जाता, प्रार्थीगण को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने पट्टों पर खसरा नंबर अंकित नहीं होने से उन्हें मान्यता नहीं दी है। पट्टें छोटे–छोटे टुकडो में जारी किये जाते है जिन पर खसरा नंबर अंकित नहीं होने से उन्हें निरस्त कराये बिना किसी प्रकार की विपरीत धारणा नहीं बनाई जा सकती। वैसे भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के 12 से 18 वर्ष के लम्बे समय पश्चात् प्रार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाहीं को उचित नहीं कहा जा सकता। ग्राम पंचायत ने विवादित आराजी आबादी में होने के आधार पर जिला कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की थी ऐसी स्थिति में विवादित आराजी का आबादी होना निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू के निर्णय का समर्थन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाने एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। 7– परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू का निर्णय दिनांक 10–5–04 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनू का आदेश दिनांक 4–10–2000 व जिला कलेक्टर झुंझुनू का निर्णय दिनांक 24–4–01 बहाल रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सूचना उभय पक्ष को जरिये कम्प्यूटर दी जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	